

भारत सरकार
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4552
(दिनांक 19.07.2019 को उत्तर देने के लिए)

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान

4552. श्री बल्ली दुर्गा प्रसाद रावः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;
- (ख) इस संस्थान के अंतर्गत उपलब्ध पाठ्यक्रमों और छात्रवृत्ति का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार आकांक्षी कलाकारों की लगातार मांग के परिप्रेक्ष्य में विजयवाड़ा/ विशाखापटनम/राजमुन्दरी, आंध्र प्रदेश में एफटीआईआई का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सूचना और प्रसारण मंत्री
(श्री प्रकाश जावड़ेकर)

- (क): भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के लक्ष्यों और उद्देश्यों को अनुलग्नक-क पर संलग्न किया गया है।
- (ख): एफटीआईआई के तहत उपलब्ध पाठ्यक्रमों और छात्रवृत्तियों का ब्यौरा अनुलग्नक-ख पर संलग्न है।
- (ग): जी, नहीं।

दिनांक 19.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4552 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के लक्ष्य और उद्देश्य

- स्नातकपूर्व तथा स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर फिल्म एवं टेलीविजन की सभी शाखाओं में शिक्षण के उपयुक्त पैटर्न का विकास करना ताकि भारत में फिल्म व टेलीविजन शिक्षा के उच्च मानक स्थापित किए जा सकें;
- सिनेमा एवं टेलीविजन के क्षेत्र में नए विचारों एवं नई प्रौद्योगिकियों के सतत अंतः प्रवाह तथा इन विचारों तथा तकनीकों को समेकित करते हुए प्रशिक्षित कर्मिकों के संगत बहिःप्रवाह को सुविधाजनक बनाना;
- भारत में फिल्म उद्योग तथा टेलीविजन संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति निर्मित करना तथा विशेषकर टेलीविजन कार्मिकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;
- भारत तथा विदेशों में फेलोशिप, छात्रवृत्तियों तथा अन्य माध्यमों के जरिए सेमिनारों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों आदि में संस्थान के छात्रों तथा कार्मिकों को नियुक्त करना;
- फिल्म टेलीविजन एवं मंचन कलाओं के क्षेत्र में अन्य राष्ट्रीय तथा/अथवा विदेशी संस्थानों एवं संगठनों के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना;
- देश भर में लघु पाठ्यक्रमों का आयोजन करके गुणवत्तापूर्ण फिल्मिी शिक्षा को प्रोत्साहन प्रदान करना।

दिनांक 19.07.2019 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4552 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले पाठ्यक्रम

पाठ्यक्रम	अवधि (वर्षों में)
फ़िल्म स्कंध पाठ्यक्रम	
फिल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (निर्देशन और पटकथा लेखन में विशेषज्ञता)	3
फिल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (चलचित्र में विशेषज्ञता)	3
फिल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (संपादन में विशेषज्ञता)	3
फिल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (ध्वनि रिकॉर्डिंग एवं ध्वनि डिजाइन में विशेषज्ञता)	3
फिल्म में तीन वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम (कला निर्देशन और निर्माण डिजाइन में विशेषज्ञता)	3
अभिनय में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम	2
फीचर फिल्म पटकथा लेखन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	1
टीवी स्कंध पाठ्यक्रम	
टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (निर्देशन में विशेषज्ञता)	1
टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (इलेक्ट्रॉनिक चलचित्र में विशेषज्ञता)	1
टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (वीडियो संपादन में विशेषज्ञता)	1
टेलीविज़न में एक वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (ध्वनि रिकॉर्डिंग एवं टीवी अभियांत्रिकी में विशेषज्ञता)	1

एफटीआईआई की छात्रवृत्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

- i. प्रवेश परीक्षा मेरिट- फ़िल्म स्कंध के प्रत्येक पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को 12,500/- रु.
- ii. प्रथम सेमेस्टर का मेरिट -फ़िल्म स्कंध के तीन वर्षीय पाँच पाठ्यक्रमों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले प्रथम तीन छात्रों को - प्रथम- 24,000/- रु., द्वितीय-21,500/-रु. और तृतीय- 19,000/-रु.
- iii. अभिनय और फीचर फिल्म पटकथा लेखन के प्रत्येक विभाग में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 24,000/-रु.
- iv. द्वितीय से पांचवे सेमेस्टर तक मेरिट - फ़िल्म स्कंध के प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को - प्रथम 13,500/-रु. और द्वितीय - 11,500/-रु. इसके अतिरिक्त, योग्य छात्रों को निजी संगठनों/व्यक्तियों द्वारा भी छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं ।